

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गया

पटना, दिनांक- 14/09/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के नगर निकायों में सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु नगर निगम, गया को राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल ₹417.69000 लाख (चार करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार रु०) मात्र का सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए विशेष स्वच्छता अनुदान के रूप में नगर निगम, गया को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से निम्न तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में विभागीय राज्यादेश सं०- 61 दिनांक- 14/09/18 के आलोक में कुल राशि ₹417.69000 लाख (चार करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार रु०) मात्र निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	प्रति House Hold 100/- रु० प्रति माह की दर से छः माह के लिए स्वीकृत राशि	प्रति House Hold 100/- रु० प्रति माह की दर से छः माह के लिए आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	गया	नगर निगम, गया	4,17,69,000.00	4,17,69,000.00

कुल आवंटित राशि ₹417.69000 लाख (चार करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार रु०)

मात्र।

2. उक्त आवंटित राशि ₹417.69000 लाख (चार करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार रु०) मात्र का उपयोग नगर निगम, गया द्वारा गया शहर की सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु किया जायेगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:-

- डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण,
- कचरा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय,
- कचरे के प्रबंधन हेतु Landfill Site का क्रय/विकास,
- कचरे से कम्पोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता,
- नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढीकरण,

- (च) सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की विशेष व्यवस्था करने हेतु मानव बल उपलब्ध कराना।
3. उपर्युक्त कंडिका- 2(च) के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि उक्त राशि का उपयोग विशेष आयोजनों यथा- दशहरा, दिपावली, छठ पर्व, पितृपक्ष मेला आदि पर भी किया जा सकता है।
 4. उक्त आवंटित ₹417.69000 लाख (चार करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार रु०) मात्र राशि का व्यय विभागीय पत्रांक- 3910, दिनांक- 30.07.2015 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।
 5. **वित्त विभाग के पत्रांक- 6903, दिनांक- 13.09.2018 द्वारा CFMS से आवंटन देने की कार्रवाई को अगले आदेश तक स्थगित रखते हुए पूर्व की भाँति मैनुअल तरीके से आवंटनादेश निर्गत करने का निदेश दिया गया है। तदनुसार आवंटनादेश मैनुअली तैयार किया गया है।**
 6. उक्त आवंटित राशि ₹1333.20600 लाख (तेरह करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार छः सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, गया होंगे, उनके द्वारा उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 एवं पत्रांक- 662, दिनांक- 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी।
 7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।
 8. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
 9. उक्त आवंटित कुल राशि ₹417.69000 लाख (चार करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0116-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- **48-2217011910116**, विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।
 10. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

14.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

झापांक-2ब०/ना०सु०-03-18/2015 02 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-140918

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/योजना एवं विकास विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

60

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 14/09/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के नगर निकायों में सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु नगर निगम, गया को राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल ₹417.69000 लाख (चार करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार रु०) मात्र राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए विशेष स्वच्छता अनुदान के रूप में नगर निगम, गया को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से निम्न तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में कुल राशि ₹417.69000 लाख (चार करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	प्रति House Hold 100/- रु० प्रति माह की दर से छः माह के लिए आकलित राशि	प्रति House Hold 100/- रु० प्रति माह की दर से छः माह के लिए स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	गया	नगर निगम, गया	4,17,69,000.00	4,17,69,000.00

कुल स्वीकृत राशि ₹417.69000 लाख (चार करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत राशि ₹417.69000 लाख (चार करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार रु०) मात्र का उपयोग नगर निगम, गया द्वारा गया शहर की सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु किया जायेगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:-

- डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण,
- कचरा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय,

- (ग) कचरे के प्रबंधन हेतु Landfill Site का क्रय/विकास,
- (घ) कचरे से कम्पोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता,
- (ङ) नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढीकरण,
- (च) सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की विशेष व्यवस्था करने हेतु मानव बल उपलब्ध कराना।
3. उपर्युक्त कंडिका- 2(च) के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि उक्त राशि का उपयोग विशेष आयोजनों यथा- दशहरा, दिपावली, छठ पर्व, पितृपक्ष मेला आदि पर भी किया जा सकता है।
4. उक्त स्वीकृत ₹417.69000 लाख (चार करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार रु०) मात्र राशि का व्यय विभागीय पत्रांक- 3910, दिनांक- 30.07.2015 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।
5. उक्त स्वीकृत राशि ₹1333.20600 लाख (तेरह करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार छः सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, गया होंगे, उनके द्वारा उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 एवं पत्रांक- 662, दिनांक- 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी।
6. चूंकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ङ) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
8. उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹417.69000 लाख (चार करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0116-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- 48-2217011910116, विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।
9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

(Handwritten signature)

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या- 2ब०/ना०सु०-03-18/2015 के पृष्ठ सं०-...123.../टि० पर दिनांक-...13/09/2018... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-...124.../टि० पर दिनांक-...13/09/2018... को प्राप्त है।
12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. इसकी सूचना आयुक्त, भगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, गया/नगर आयुक्त, नगर निगम, गया/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापक-2ब०/ना०सु०-03-18/2015

61

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-14/09/18

प्रतिलिपि:- आयुक्त, भगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, गया/नगर आयुक्त, नगर निगम, गया/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/योजना एवं विकास विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

Handwritten signature and initials.